

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

रैयत एवं गैर-रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2020 हेतु मान्य)

में पिता/पति का नाम

वार्ड संख्या ग्राम.....

पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद्

प्रखण्ड जिला घोषणा करता/करती हूँ कि

मैंने अपनी कृषि योग्य भूमि जिसका भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अपलोड किया है साथ ही अन्य रैयत की कृषि योग्य भूमि पर भी खरीफ वर्ष 2020 में फसल/फसलों की बुआई की है। बुआई अंतर्गत फसल की रैयत एवं गैर-रैयत भूमि का रकवा निम्न है :-

क्रम संख्या	फसल का नाम	बुआई का रकवा (डिसमिल में)	
		रैयत भूमि (डिसमिल में)	गैर-रैयत भूमि (डिसमिल में)
1.	धान		
2.	मक्का		
3.	सोयाबीन		
	बुआई का कुल रकवा		

नोट:- मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरण अंकित की जाय।

यह भूमि ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद्.....में अवस्थित हैं।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है। साथ ही, यह भी घोषणा करता / करती हूँ की अंकित सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

दिनांक-

हस्ताक्षर /अंगुठे का निशान

किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य की अनुशंसा :-

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता / करती हूँ।

किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य का नाम		हस्ताक्षर एवं मुहर
पद :-		
मोबाइल नंबर -		
आधार संख्या -		